समाहरणालय, बाँका

(मद्य निषेध शाखा)

अति अल्प कालीन आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बांका जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पाद वादों में राज्यसात् किये गये वाहनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् आम नीलामी (Public Auction) **दिनांक 27.03.2021 को एवं आवश्यकतानुसार अगले कार्यदिवस को आर0 एम0 के0 इन्टर स्तरीय विद्यालय , बांका के मैदान में 11:30 बजे पूर्वाह्न से की जायेगी।**

क्र0	अधिहरण वाद सं0	थाना काण्ड/उत्पाद वाद सं0	वाहन का प्राकर	वाहन पंजीकरण संख्या	वाहन जहाँ रखा गया है	मूल्यांकन राशि (रुपया में)	अग्रधन की राशि (20%)
1	456/19-20	उत्पाद वाद 90/19	मैजिक मन्थरा सवारी गाड़ी	BR-51P- 0873	उत्पाद विभाग में	205000.00	41000.00
2	637/19-20	उत्पाद वाद 140/19	स्वीफट डिजायर कार	BR-09V- 5565	उत्पाद विभाग में	340000.00	68000.00
3	58/20-21	उत्पाद वाद 29/20	ग्लैमर मोटरसाईकिल	BR-10V- 0287	उत्पाद विभाग में	26000.00	5200.00
4	141/20-21	उत्पाद वाद 38/20	टाटा एक्सोन पिकअप	BR-10GB- 5011	उत्पाद विभाग में	401000.00	80200.00
5	148/20-21	उत्पाद वाद 42/20	अपाचे मोटरसाईकिल	BR-10AE- 4850	उत्पाद विभाग में	48000.00	9600.00
6	197/20-21	उत्पाद वाद 46/20	होण्डा साईन मोटरसाईकिल	BR-08E- 1486	उत्पाद विभाग में	8000.00	1600.00
7	200/20-21	उत्पाद वाद 43/20	हिरो ग्लैमर मोटरसाईकिल	BR-51E- 7415	उत्पाद विभाग में	36000.00	7200.00
8	59/20-21	चान्दन 41/20	शेवरोले एवियो 1.4 कार	JH-05V-5247	चान्दन थाना में	51000.00	10200.00
9	548/19-20	पंजवारा 27/19	मोटरसाईकिल	BR-51-9745	पंजवारा थाना में	12000.00	2400.00
10	22/20-21	अमरपुर 504/18	मोटरसाईकिल	JH-17H- 3948	अमरपुर थाना में	6000.00	1200.00
11	418/19-20	फुल्लीडुमर 258/19	मोटरसाईकिल	JH-04C- 9783	फुल्लीडुमर थाना में	5000.00	1000.00
12	542/19-20	बौंसी 38/19	डेटसन रेडीगो कार	JH-15N-9783	बौंसी थाना में	205000.00	41000.00
13	421/19-20	शंभूगंज 94/19	मोटरसाईकिल	JH-15J- 8831	शंभुगंज थाना में	18000.00	3600.00
14	476/19-20	उत्पाद वाद 138/19	स्कॉर्पियो एस0 2	BR-10PA- 9645	उत्पाद विभाग में	360000.00	72000.00
15	624/19-20	उत्पाद वाद 150/19	महिन्द्रा क्वान्टो कार	DL-4CNB-8322	उत्पाद विभाग में	150000.00	30000.00
16	600/19-20	उत्पाद वाद 15/20	क्वीड कार	BR-10PB- 3344	उत्पाद विभाग में	220000.00	44000.00
17	139/20-21	उत्पाद वाद 134/19	आल्टो कार	WB-02E- 1645	उत्पाद विभाग में	32000.00	6400.00
18	266/20-21	उत्पाद वाद 67/20	बोलेरो पिक अप	BR-10GB- 2533	उत्पाद विभाग में	350000.00	70000.00

19	208/20-21	उत्पाद वाद 62/20	होण्डा मोटरसाईकिल	JH-04H-3135	उत्पाद विभाग में	11000.00	2200.00

नीलामी की शर्तें :–

01. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति अपना आवेदन, शफथ पत्र, आधार कार्ड एवं तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि **दिनांक** 20.03.21 **के संध्या 05:00** बजे बजे तक **कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध, ट्रायसेम भवन, बांका में नकद/बैंक ड्राफ्ट** के रुप में जमा करना होगा।
02. नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि वापस की दी जायेगी।
03. नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि नीलामी के तीन कार्य दिवसों के भीतर अधीक्षक मद्यनिषेध, कार्यालय, बांका में जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर, नीलामी रद्द कर दी जायेगी।
04. समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए निमित मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलाम क्रेता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी तथा वाहन को सभी प्रकार के भार (Free of all encumbrances) से मुक्त मानते हुए नीलामी की जाएगी।
05. नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकुल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
06. नीलामी **"जो है, जहॉं है, जैसा है"** के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
07. इच्छुक व्यक्ति संबंधित वाहन को वर्णित उत्पाद/पुलिस थानों में जाकर देख सकते है।
08. किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगी।
09. आवेदक को आवेदन के साथ अद्यतन फोटो, पहचान पत्र का स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
10. उपर्युक्त कागजात के अतिरिक्त शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा जिसमें नीलामी के शर्त्तो के पालन किये जाने संबधी आवश्यक शपथ अंकित करना होगा।
11. प्राप्त आवेदनों के जॉंचोपरांत योग्य आवेदकों की सूची नीलामी की तिथि के एक दिन पूर्व अधीक्षक मद्य निषेध के कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।
12. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के आधार पर वाहन दिया जाएगा। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. कोविड–19 के संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
14. उपर्युक्त वाहन के स्वामी यदि किसी सक्षम न्यायालय में अपीलवाद दायर किये हैं तो वे इसकी सूचना साक्ष्य सहित नीलामी के पूर्व नीलामी समिति को उपलब्ध करा देंगे।
15. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक मद्यनिषेध, बांका से संपर्क किया जा सकता है।

06/03/21

समाहर्त्ता,
बांका।